

## नगर पालिका परिषद, जौनपुर

### ठेकेदारी पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की सूचना

सर्वसाधारण सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, जौनपुर द्वारा पालिका के वाहनों के अनुरक्षण व मरम्मत का कार्य किया जाना है। इस हेतु शासनादेश संख्या-742/30-4-2000-के0एम0-85 दिनांक 11.08.2000 के अनुपालन में परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन में लघु उद्योग इकाई के रूप में वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत पंजीकृत A, B व C श्रेणी के गैराजो को नगर पालिका परिषद, जौनपुर के वाहनों के अनुरक्षण व मरम्मत के लिए पालिका में पंजीकरण हेतु दिनांक 26.03.2020 को सायंकाल 3:00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन का निर्धारित प्रारूप व सेवा शर्तें पालिका कार्यालय से दिनांक 16.03.2020 से प्राप्त किये जा सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पालिका के वाहन मरम्मत हेतु A, B व C श्रेणी में पंजीकरण हेतु इच्छुक ठेकेदारो/फर्मो को परिवहन आयुक्त उ0प्र0 लखनऊ के उपरोक्त शासनादेश में निहित प्रावधानों का अनुपालन करना होगा जो फर्म या ठेकेदार उक्त शासनादेश में दिये गये प्रावधानों का अनुपालन नहीं करेगा उसके पंजीकरण आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। शर्तें व अन्य जानकारी कार्यालय एवं पालिका के वेबसाइट [www.nppjaunpuronline.org](http://www.nppjaunpuronline.org) से प्राप्त की जा सकती है।

  
अधिसासी अधिकारी, 12/20  
नगर पालिका परिषद जौनपुर।

**सायाटंझ**  
अध्यक्ष  
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

पत्रांक: 200 / न0पा0परि0 / 2020

दिनांक: 19 मार्च, 2020


प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व) प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय-जौनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रबन्धक एन0आई0सी0 जौनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कृपया उक्त निविदा ई-प्रेक्चोरमेन्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
4. सम्पादक/सम्वाददाता, जौनपुर दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त सूचना कम से कम स्थान में सरकारी दरों पर प्रकाशित करने के उपरान्त समाचार पत्र की 03 प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
5. श्री हरिश्चन्द्र यादव (सफाई निरीक्षक) को इस निर्देश के साथ उक्त निविदा का प्रकाशन एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर कराना सुनिश्चित करें।
6. पालिका कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

  
अधिसासी अधिकारी, 12/20  
नगर पालिका परिषद जौनपुर।

नगर पालिका परिषद, जौनपुर, में वाहन मरम्मत, पंजीकरण हेतु नियम/शर्तें

- 1- विशेष सचिव, श्री वी.एन. दीक्षित उ०प्र० शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या 742/30-4-2000-7 के०एम०-85 दिनांक 11.08.2000 एवं परिवाहन आयुक्त उ०प्र० शासन लखनऊ एवं उद्योग विभाग उ०प्र० शासन में लघु उद्योग ईकाई के रूप में पंजीकृत प्रविधानो का अनुपालन अनिवार्य होगा।
- 2- A, श्रेणी में पंजीकरण हेतु आवेदन शुल्क 5000+जी०एस०टी० सहित, B श्रेणी में पंजीकरण हेतु आवेदन शुल्क 3000+जी०एस०टी० सहित व C श्रेणी में पंजीकरण हेतु आवेदन शुल्क रूपया 2000+जी०एस०टी० सहित पालिका कोष में जमा करना होगा।
- 3- फर्मों का पंजीकरण/ अनुबन्ध के समय A, श्रेणी में 100000, B, श्रेणी में 50000, C, श्रेणी में 25000 रूपये की धरोहर धनराशि नकद अथवा एफ०डी०आर० के रूप में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जौनपुर के नाम बंधक करना होगा।
- 4- जी०एस०टी०/टी०डी०एस० आदि का नियमानुसार कटौती व भुगतान होगा।
- 5- श्रम विभाग नियमों के अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- 6- अन्य शर्तें अनुबन्ध पत्र में उल्लेखित की जायेगी।

  
अधिशासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद जौनपुर।

**माया देवी**  
अध्यक्ष,  
नगर पालिका परिषद जौनपुर।  
19/3/2020

प्रपत्र का मूल्य-1-5000+GST-A श्रेणी

2-3000+GST-B श्रेणी

3-2000+GST-C श्रेणी

### कार्यालय नगर पालिका परिषद, जौनपुर

नगर पालिका परिषद, जौनपुर के परिवहन मरम्मत हेतु परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ एवं उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन में लघु उद्योग इकाई के रूप में पंजीकृत "A, B, C" श्रेणी के गैराजों का पंजीकरण प्रपत्र

1. फर्म का नाम —
2. फर्म का प्रकार —
3. फर्म/प्रोपराइटर का पता —
4. फर्म/प्रोपराइटर का पैन नं० —
5. फर्म/प्रोपराइटर का जी०एस०टी० नं० —
6. परिवहन आयुक्त कार्यालय का पंजीकरण संख्या —
7. गैराज का पता —
8. गैराज का क्षेत्रफल —
9. गैराज का स्वामित्व का प्रकार —
10. कुल कार्यरत मैकेनिक/फिटर/अकुशल कर्मी —
11. प्रत्येक का विवरण एवं अनुभव आधार कार्ड सहित —
12. फर्म का अनुभव (यदि कोई है) —
13. सम्बन्धित सभी दावों की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
14. आवेदन फार्म को यदि पंजीकरण हेतु पात्र पाया जाता है तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व रू० 1 लाख की धरोहर राशि जमा करनी होगी।
15. पंजीकरण हेतु पात्र फर्म से रिपेयरिंग की शर्तों का पृथक से अनुबन्ध किया जाएगा।
16. गैराज में कार्यरत मैकेनिक/फिटर/अकुशल कर्मी का श्रम विभाग में एक माह में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।